

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1982/माघ 3, 1903
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1982/MAGHA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1982

का.आ. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ और धारा 25 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 का और संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1982 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के खण्ड 8 में विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-1 के रूप में संख्याकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 को इस प्रकार संख्याकित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण-2. शंकाएं दूर किए जाने के लिए, इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति “सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट” के अन्तर्गत सीमेंट से भिन्न सीमेंट से बनाया गया रंगीन सीमेंट भी है।”

[फाइल संख्या -1-3/82-सीमेंट]

रूप कृष्ण टिक्कू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1982

S.O. 47(E).—In exercise of the powers conferred by section 18G and section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely :—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Second Amendment) Order, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 8 of the Cement Control Order, 1967, the existing Explanation shall be numbered as “Explanation I”, and after Explanation I as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation II.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the expression “ordinary portland cement” referred to in subclause (c) includes coloured cement made from cement other than white cement.”.

[File No. 1-3/81-Cement]

T. K. TIKKU, Jt. Secy.